रजिस्ट्री सं० डी०ए० ल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 924] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 2018/पौष 7, 1940
No. 924] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28, 2018/ PAUSHA 7, 1940

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि.1240(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, वी ओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 123 द्वारा उनको प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ अनुलग्नित अनुसूची में दर्शाए गए अनुसार, अधिसूचना संख्या एसआरओ सी–16/2018, दिनांक 11.07.2018 एवं एसआरओ सी– 16/2018, दिनांक 18.07.2018 के द्वारा तमिलनाडु सरकार के राजपत्र में प्रकाशित, वी ओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास (लाइसेन्सिंग ऑफ स्टीवडोरिंग एवं शोर हेन्डलिंग एजेन्ट्स) विनियम, 2018 का एतद्द्वारा अनुमोदन करती है।

अनुसूची

''वी ओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास (लाइसेन्सिंग ऑफ स्टीवडोरिंग एवं शोर हेन्डलिंग एजेन्ट्स) विनियम, 2018

सं एसआरओ सं–16/2018

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 123 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, वी ओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :

1 **लघु शीर्ष एवं आरम्भ–**

(i) ये विनियम वी ओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास (लाइसेन्सिंग ऑफ स्टीवडोरिंग एंड शोर हेन्डलिंग एजेन्ट्स) विनियम, 2018 कहे जाएंगे।

(ii) ये विनियम, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप धारा (1) के अनुसरण में शासकीय राजपत्र में केन्द्र सरकार के अनुमोदन से प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2 प्रयोज्यता

(1) ये विनियम निम्नलिखित गतिविधियों के लिए लागू होंगे, अर्थात् :–

(क) पत्तन द्वारा या लाइसेंस प्राप्त स्टीवडोरिंग एवं शोर हेन्डलिंग एजेन्टों द्वारा या किसी अन्य नाम के अधीन किसी अन्य एजेन्टों द्वारा की गई स्टीवडोरिंग एवं शोर हेन्डलिंग गतिविधियाँ ;

(ख) लाइसेंस समझौता करार में यथा विनिर्दिष्ट, निर्माण संचालन अंतरण टर्मिनल संचालक द्वारा स्टीवडोरिंग एवं शोर हेन्डलिंग गतिविधियाँ ;

(ग) ऑन–शोर, शोर हेन्डलिंग से संबंधित ऐसी गतिविधियां जिनमें निर्यात कार्गो के लादान के लिए हुक–प्वायंट को आगे बढ़ाने और आयात कार्गो को हुक प्वायंट से उतारने संबंधी गतिविधियों को ऑन–शोर कार्य करने वाले कामगारों द्वारा अथवा पत्तनों पर जो भी अन्य तरीका प्रचालित हो, द्वारा निपटाया जाता है।

(2) कोई भी एजेन्सी, पत्तन में उप विनियम (1) में संदर्भित गतिविधियों का इस उद्देश्य के लिए निष्पादन, तब तक नहीं कर सकती, जब तक उन्हें पत्तन द्वारा मान्य लाइसेन्स जारी नहीं किया जाता।

3 परिभाषा – इन विनियमों में, जब तक इस संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो–

(i) "अधिनियम " से अभिप्रेत, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) हैं ;

(ii) आवेदक, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के तहत कोई पंजीकृत कंपनी या कोई सहभागिता फर्म होगी ;

(iii) "बोर्ड" से अभिप्रेत है, अधिनियम के तहत गठित वी ओ चिदम्बरनार पत्तन का न्यासी बोर्ड;

(iv) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, बोर्ड के अध्यक्ष ;

(v) "फॉर्म" से अभिप्रेत है, इन विनियमों के साथ संलग्नित प्रपत्र ;

(vi) "स्टीवडोरिंग" से अभिप्रेत है, पत्तन में जहाजों के ऑन बोर्ड से किसी भी आकार में कार्गो को लादना एवं उतारना एवं स्टोवेज़ करना ;

(vii) "शोर हेन्डलिंग" से अभिप्रेत है, हुक पॉइन्ट तक या से कार्गो को व्यवस्थित करना और प्राप्त करना, वार्फ से स्टाक यार्ड तक इन्टर मोडल यानांतरण करना और इसके विपरीत करना तथा वेगन या ट्रकों से या तक कार्गो का प्राप्त करना या सुपुर्दगी करना ;

(viii) "यातायात प्रबंधक" का तात्पर्य, वी ओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास के यातायात विभाग के प्रभारी के रूप में रहने वाले अधिकारी ;

4 स्टीवडोरिंग और भोर हेन्डलिंग का लाइसेन्स जारी करना :

(क) स्टीवडोरिंग एवं शोर हेन्डलिंग लाइसेन्स जारी करने हेतु आवेदक द्वारा, अपना आवेदन अनिवार्य प्रलेखों सहित फार्म–ए में किया जाना है।

(ख) पत्तन के अंदर, विभिन्न कार्गो सामग्रियों की संभलाई के लिए महा पत्तनों के लिए प्रशुल्क प्राधिकारी द्वारा नियत नॉर्मेटिव प्रशुल्क पर रायल्टी के आधार पर जारी किया जाएगा और यही प्रशुल्क, सीलिंग प्रशुल्क होगा।

(ग) आवेदक कंपनी, अपने प्रमुखों से महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा खंड (ख) के तहत निर्धारित नियत प्रशुल्क से अधिक दरें नहीं वसूल सकती।

(घ) वेतन एवं मुआवजे के दायित्व को पूरा करने के लिए एक आवेदक की वित्तीय स्थिति कामगार मुआवज़ा अधिनियम 1923 (1923 का 8), वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 (1936 का 4), औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 4) या ऐसे एजेन्टों द्वारा नियोजित कामगारों और कर्मचारियों के अनुग्रहों को पूरा करने हेतु केवल उस समय के लिए लागू किसी अन्य कानून के अधीन होनी चाहिए।

(ड.) आवेदक को सुरक्षा निक्षेप के रूप में रुपया पाँच लाख जमा करना होगा, जिसे दावों का समायोजन करने के बाद बिना ब्याज के प्रतिलभ्य या खारिज़ कर दिया जाएगा, अगर जब लाइसेन्सी सहयोग देना बंद कर देता है।

(च) आवेदक को अपने नीचे कम से कम 2 वर्ष तक का कार्गो संबंधी संचालन का न्यूनतम अनुभव रखने वाले छह कामगारों को अधीक्षण करने के लिए रखना होगा और उनके प्रोफाइलों को आवेदन के साथ संलग्नित करना होगा।

(छ) स्टीवडोरिंग एवं शोर हेन्डलिंग लाइसेन्स को जारी या नवीकरण करने के लिए शुल्क, एक वर्ष या एक वर्ष के भाग के लिए, रु 50,000/– (रुपया पचास हज़ार) प्लस लागू कर होगा।

(ज) किसी भी आवेदक को, इन विनियमों के तहत अध्यक्ष द्वारा जारी लाइसेन्स धारक को छोडकर, पत्तन परिसरों में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(झ) अध्यक्ष, स्टीवडोरिंग एवं शोर हेन्डलिंग लाइसेन्स तीन वर्ष की अवधि के लिए जारी कर सकते हैं।

5 **स्टीवडोरिंग एवं शोर हेन्डलिंग लाइसेन्स की मान्यता एवं नवीकरण :**

(क) स्टीवडोरिंग एवं शोर हेन्डलिंग लाइसेन्स की मान्यता, जारी करने की तारीख से तीन वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी।

(ख) स्टीवडोरिंग एवं शोर हेन्डलिंग एजेन्ट द्वारा उत्पादकता को हासिल करने संबंधी दैनिक रिपोर्ट, फार्म – बी में, ऑन लाइन के जरिए यातायात विभाग को जमा करनी होगी।

(ग) पत्तन न्यास के अध्यक्ष, हर महीने स्टीवडोरिंग एवं शोर हेन्डलिंग एजेन्ट के निष्पादन की समीक्षा करेंगे।

(घ) एजेन्टों को जारी किए गए लाइसेन्स की शर्तों एवं उपबंधो और उनके द्वारा पालन किए जा रहे सुरक्षा मानकों के अनुपालन का यातायात प्रबंधक द्वारा अनुवीक्षण किया जाएगा और इस संबंध में एक रिपोर्ट अध्यक्ष को प्रस्तुत की जाएगी।

(ड.) जहाँ यातायात प्रबंधक को, स्टीवडोरिंग एवं शोर हेन्डलिंग एजेन्ट की ओर से किसी प्रकार की चूक का पता चलता हैं तो पहली चूक के लिए उसे चेतावनी जारी करेंगे और अगर फिर भी वह दूसरी चूक करता है तो अध्यक्ष द्वारा उस स्टीवडोरिंग एवं शोर हेन्डलिंग एजेन्ट के लाइसेन्स को रद्द किया जा सकता है।

(च) तीन वर्ष के अंत में, लाइसेन्स का नवीकरण, खंड (घ) में संदर्भित निष्पादन रिपोर्टों के आधार पर, किया जाएगा।

(छ) स्टीवडोरिंग एवं शोर हेन्डलिंग सेवाओं के नवीकरण केलिए आवेदन, अद्यतन लाइसेन्स की समाप्ति से तीन महीने पहले किया जाना है।

(ज) लंबित नवीकरण आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और समाप्ति की तारीख पर लाइसेन्स की अवधि समाप्त हो जाएगी।

(झ) स्टीवडोरिंग एवं शोर हेन्डलिंग सर्विस लाइसेन्स के लिए आवेदन फॉर्म –ए में दिया जाना है।

(ञ) लाइसेन्स के नवीकरण को जारी करने से पहले, गोदी सुरक्षा कानून के सुरक्षा निष्पादन अनुपालन के संबंध में एक रिपोर्ट, गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण) अधिनियम, 1986 के तहत घोषित "निरीक्षक" से प्राप्त करनी होगी, जिसे, लाइसेन्स का नवीकरण प्रदान करते समय, विचारार्थ लिया जाएगा।

(ट) अगर स्टीवडोर एवं शोर हेन्डलिंग एजेन्ट अनिवार्य शर्तों को पूरा करता है और नवीकरण के लिए योग्य है, लेकिन लाइसेन्स की अवधि की समाप्ति से पूर्व सुरक्षा निकासी की प्रतीक्षा कर रहा है तो, पत्तन, एक क्षतिपूर्ति बंध पत्र का निष्पादन करते हुए, ऐसे एजेन्ट को स्टीवडोरिंग संचालन करने की अनुमति दे सकता है।

(ठ) उन स्टीवडोर्सों के मामले में, जो अपने सुरक्षा निक्षेप को आगे नवीकरण करने का विकल्प नहीं करते हैं और लाइसेन्स द्वारा संचालन करने की अवधि समाप्त हो जाती है, तो दावों, अगर कोई है, का समायोजन करने के बाद बिना किसी ब्याज़ के प्रतिलभ्य करना होगा।

(ड) स्टीवडोरिंग एवं शोर हेन्डलिंग सर्विस लाइसेन्स की मान्यता की अवधि, नवीकरण की तारीख से तीन वित्तीय वर्ष तक की होगी।

(ढ) मूल लाइसेन्स के गुम या खराब हो जाने पर यातायात प्रबंधक के समक्ष एक हज़ार रुपए का भुगतान करते हुए, आवेदन करने पर एक प्रतिलिपि लाइसेन्स प्राप्त किया जा सकता है।

6 **नए स्टीवडोरिंग एवं शोर हेन्डलिंग स्कीम को प्रव्रजन करना :**

स्टीवडोरिंग एवं शोर हेन्डलिंग एजेन्ट, जिन्हें इस विनियम की शुरूआत से पहले लाइसेन्स जारी किया गया है, को इस विनियम के तहत, लाइसेन्सी के रूप में विचार किया जाएगा :

बशर्ते कि इस विनियम के आधार पर लाइसेन्सी द्वारा किसी अतिरिक्त आवश्यकताओं का समाधान किया जाना है, तो लाइसेन्सी द्वारा उसे एक महीने की अवधि के अंदर पूरा किया जाना अनिवार्य है ।

7 **नाम, संगठन में बदलाव को सूचित किया जाना :**

(क) जहाँ स्टीवडोर शोर हेन्डलिंग एक सहभागिता फर्म या एक कंपनी है, तो उसे निदेशक, प्रबंध निदेशक या सहभागी में हुए बदलाव को, जैसी भी स्थिति हो, अध्यक्ष को तुरंत सूचित करना होगा और साथ ही साथ इसके समर्थन में ऐसे बदलाव के प्रलेखों की प्रति भी देनी होगी।

(ख) स्टीवडोरिंग शोर हेन्डलिंग लाइसेन्स धारक किसी फर्म या कंपनी के नाम, शीर्ष या संगठन में हुए किसी भी प्रकार के बदलाव को, अध्यक्ष को तुरंत सूचित करना होगा।

(ग) सहभागिता फर्म या कंपनी जहाँ इस प्रकार का बदलाव हुआ है को नए लाइसेन्स के लिए नया आवेदन जमा करना होगा :

बशर्ते कि अध्यक्ष ऐसे फर्म या कंपनी को, इस प्रकार के नए आवेदन पर निर्णय लेने तक, व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं।

8 **स्टीवडोरिंग एवं शोर हेन्डलिंग प्रभारें :**

(क) महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाने वाले दिशा–निर्देशों के आधार पर, स्टीवडोरिंग एवं शोर हेन्डलिंग गतिविधियों के लिए नॉर्मेटिव प्रशुल्क, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे, जो कि सीलिंग प्रशुल्क होगा और यदि भविष्य में महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण की भूमिका में कोई परिवर्तन होता है तो, बोर्ड या प्राधिकृत प्राधिकरण, इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर, दरों को नियत और अधिसूचित करेंगे।

(ख) वी ओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास के सभी ग्राहकों को स्टीवडोरिंग एवं शोर हेन्डलिंग गतिविधियों के लिए सीलिंग प्रशुल्क सेट पर दर्शाया जाएगा और प्रशुल्कों को पत्तन की शासकीय वेबसाइट पर अनिवार्यतः प्रदर्शित किया जाएगा।

(ग) स्टीवडोरिंग एवं शोर हेन्डलिंग प्रशुल्कों का अनुवीक्षण करने के लिए पत्तन, एक जिम्मेदार नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा और ऐसा अधिकारी स्टीवडोरिंग एवं शोर हेन्डलिंग सीलिंग प्रशुल्क के उल्लंघन होने की शिकायतों को देखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(घ) स्टीवडोरिंग एवं शोर हेन्डलिंग लाइसेन्सों के लिए लाइसेन्स शुल्क के रूप में, पत्तन रॉयल्टी प्रभारित करेंगे।

(ड.) पत्तन न्यास सभी लाइसेंस धारकों द्वारा अदा किए जाने हेतु, बोर्ड द्वारा नियतानुसार एकसमान प्रति मेट्रिक टन रॉयल्टी दर नियत करेगा।

9 **स्टीवडोरिंग एवं शोर हेन्डलिंग एजेन्ट का कार्य एवं दायित्व :**

प्रत्येक स्टीवडोर एवं शोर हेन्डलिंग एजेन्ट को, अध्यक्ष द्वारा उसे जारी किए गए स्टीवडोरिंग एवं शोर हेन्डलिंग लाइसेन्स के जारी रहने के दौरान, निम्नलिखित कर्तव्य, अनुग्रहों एवं दायित्वों को करना होगा, अर्थात् :–

(i) स्टीवडोर एवं शोर हेन्डलिंग एजेन्ट को, गोदी कामगार (रोज़गार के विनियम) अधिनियम, 1948 (1948 का 9), गोदी कामगार (संरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण) योजना,1961, गोदी कामगार (संरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण) अधिनियम ,1986 (1986 का 5), औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14), तथा लाभांश भुगतान अधिनियम, 1965 (1965 का 21), न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (1948 का 11) और ऐसे संचालनों के लिए जारी किए गए संबंधित नियमों, विनियमों तथा योजनाओं और जो अद्यतन लागू हो रहे हैं, के प्रावधानों के तहत, माल का यानांतरण या लादान एवं नौवहन या उससे जुड़े कार्यों के दौरान, उसके द्वारा नियोजित कामगारों एवं सभी कर्मचारियों द्वारा विधिवत् अनुपालन किए जाने को सुनिश्चित करना होगा;

(ii) स्टीवडोर एवं शोर हेन्डलिंग एजेन्ट, अपने स्वामित्वाधीन या भाड़े पर, न्यूनतम उपकरण/गेयर का प्रबंध करने के लिए जिम्मेदार होगा;

(iii) स्टीवडोर एवं शोर हेन्डलिंग एजेन्ट को ही, उसके द्वारा प्रयोग किए गए गेयर से होने वाली दुर्घटनाओं या क्षति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा;

(iv) स्टीवडोर एवं शोर हेन्डलिंग एजेन्ट को ही, उनके द्वारा निष्पादित संचालनों के संबंध में, सभी स्वीकृत संरक्षा प्रथाओं का अनुसरण करना होगा,

(v) स्टीवडोर एवं शोर हेन्डलिंग एजेन्ट ही, उनके द्वारा निष्पादित संचालनों से होने वाले सभी तीसरी पार्टी के दावों के विरूद्ध, बोर्ड की क्षतिपूर्ति करेंगे,

(vi) किसी प्रकार की दुर्घटना होने से, कामगार मुआवज़ा अधिनियम (1923) के प्रावधानों के अनुसार दावों को, स्टीवडोर एवं शोर हेन्डलिंग एजेन्ट ही चुकाएंगे;

(vii) जब कभी भी नैमित्तिक कामगार को नियोजन होता है तो स्टीवडोर एवं शोर हेन्डलिंग एजेन्ट को ही यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे कामगारों को बीमा पॉलिसी के तहत लाया गया है;

(viii) बोर्ड के किसी गेयर, यंत्र एवं अन्य संपत्ति को, इस प्रकार के संचालनों के दौरान अगर क्षति पहुँची है तो, उपयुक्त जाँच पडताल के बाद, अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिए गए अनुसार, ऐसे घाटों या नुकसान के लिए, स्टीवडोर एवं शोर हेन्डलिंग एजेन्ट द्वारा ही, बोर्ड को हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी;

(ix) स्टीवडोर एवं शोर हेन्डलिंग एजेन्ट, भरपाई के भुगतान उसकी मात्रा या किसी भी संबंधित प्रश्नों के सिलसिले में उसके एवं वी ओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास के बीच के किसी भी विवाद तथा मतभेद को, बोर्ड द्वारा नामित एकल आब्रिट्रेटर के पास, उठा सकता है;

(x) विवाचन प्रकिया आब्रिट्रशन एन्ड कंसिलिएशन अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के प्रावधानों द्वारा शासित की जाएगी,

(xi) आब्रिट्रेशन का स्थान तूतीकोरिन होगा;

(xii) स्टीवडोर एवं शोर हेन्डलिंग एजेन्ट को, समय समय पर, अध्यक्ष या यातायात प्रबंधक द्वारा मांगे जाने पर किसी भी सूचना को तुरंत प्रस्तुत करना होगा;

(xiii) स्टीवडोर एवं शोर हेन्डलिंग एजेन्ट को, पत्तन को अग्रिम के तौर पर अनुसूचित प्रभारों को अदा करना होगा और अगर कोई देय लंबित है तो, फर्म के लाइसेन्स का नवीकरण नहीं किया जाएगा और उसे रद्द कर दिया जाएगा;

(xiv) स्टीवडोर एवं शोर हेन्डलिंग एजेन्ट को, संरक्षा की अनिवार्यताओं को पूरा करते हुए, उच्चतम कार्यनिष्पादन को लगातार हासिल करने को सुनिश्चित करते हुए, नियोजित कामगारों पर पर्याप्त अनुवीक्षण करने का प्रबंध करना होगा;

(xv) स्टीवडोर एवं शोर हेन्डलिंग एजेन्ट को, कार्गो के प्रकार से संबंधित विधिवत् टेस्टेड सभी आवश्यक गेयर उपकरणों का भी प्रबंध करना होगा।

(xvi) स्टीवडोर एवं शोर हेन्डलिंग एजेन्ट को, निरीक्षक, गोदी सुरक्षा या यातायात प्रबंधक द्वारा जब कभी भी मांग किए जाने पर या आवधिक निरीक्षण के लिए, आवश्यक अन्नीलिंग एवं टेस्ट प्रमाणों के साथ, गेयर, उपकरणों को प्रस्तुत करना होगा;

(xvii) स्टीवडोर एवं शोर हेन्डलिंग एजेन्ट को, कार्गो के प्रकार के लिए, कामगारों को, आवश्यक सुरक्षात्मक सुरक्षा उपकरणों का प्रबंध करना होगा;

(xviii) स्टीवडोर एवं शोर हेन्डलिंग एजेन्ट को, सुनिश्चित करना होगा कि कामगार पाली अवधि में पूर्णरूप से कार्य स्थल पर उपलब्ध रहते हैं, सिवाय खाने के समयावधि के दौरान को छोडकर, और सामान्य आउटपुट प्रस्तुत करते हैं और जब कभी भी आउटपुट सामान्य से नीचे गिर जाता है तो कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए प्रभावी कदम उठाएंगे;

(xix) स्टीवडोर एवं शोर हेन्डलिंग एजेन्ट, वेसलों के ऑन बोर्ड या तट पर, सहायक संचालनो जैसे कि फिल्लिंग, स्टीच्चिंग तथा कार्गो का ब्रेकिंग, कार्गो का स्टाकिंग इत्यादि के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेंगे ;

(xx) स्टीवडोर एवं शोर हेन्डलिंग एजेन्ट, अध्यक्ष के लिखित पूर्व अनुमोदन के बगैर, किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेन्स के तहत या उसके अधीन किसी भी तरह का हित या लाभ को ना ही सौंपेगा, ना ही अंतरण करेगा या ना ही किसी भी तरह से भाग करेगा;

(xxi) स्टीवडोर एवं शोर हेन्डलिंग एजेन्ट, सुरक्षा, बेहतरीन उत्पादकता एवं श्रम अनुशासन के हित में, यातायात प्रबंधक द्वारा समय समय पर जारी किए गए सभी निर्देशों का अनुपालन करेगा;

(xxii) स्टीवडोर एवं शोर हेन्डलिंग एजेन्सीस, उनकी अपनी वेबसाइटों पर, उनके प्रशुल्क के साथ ब्रेक–अप् के विवरण को भी प्रकाशित करेंगे;

(xxiii) स्टीवडोर एवं शोर हेन्डलिंग एजेन्सीस को, एतदधीन के नियमों, विनियमों एवं योजनाओं के प्रावधानों के अनुसरण में श्रम कल्याण विधि के सभी प्रावधानों का अनुपालन करना होगा;

10 लाइसेन्स को रद्द / निलंबन करना :

(क) पत्तन, लाइसेन्स की शर्तों का, किसी भी प्रकार का उल्लंघन होने से, अथवा नीचे बताए गए किसी भी कारण के लिए, स्टीवडोर एवं शोर हेन्डलिंग एजेन्ट को जारी किए गए लाइसेन्स को रद्द कर सकता है या किसी भी समय निलंबन कर सकता है, अर्थात् :–

(i) स्टीवडोरिंग एवं शोर हेन्डलिंग एजेन्सी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को, नैतिक अधमता के किसी भी जुर्म के लिए, किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाता है और उस सिलसिले में कम से कम छः महीने की हिरासत की सज़ा होती है, और ऐसी सज़ा की तारीख समाप्त होने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि समाप्त नहीं होती है ;

(ii) यदि किसी एजेन्सी को पत्तन में स्टीवडोर एवं शोर हेन्डलिंग गतिविधियों के लिए नियत, सीलिंग प्रशुल्क से ज्यादा, प्रशुल्क प्रभारित करते हुए पाया जाता है,

(iii) फर्म, तीन महीने की अवधि के औसत पर लाइसेन्स में विनिर्दिष्ट निष्पादन मानकों को प्राप्त नहीं करता ;

(iv) सुरक्षा सावधानियों एवं अनिवार्य गोदी संरक्षा उपायों का उल्लंघन करने के मामले में ;

(v) अनुचित एवं असुरक्षित सम्हलाई पद्धतियों को अपनाने के मामले में ;

(vi) सामग्री तथ्यों का गलत प्रस्तुतीकरण या गलत विवरण देने के मामले में ,

(vii) अगर एजेन्सी को, दिवालिया करार दिया जाता है या उसका परिसमापन हो जाता है;

(viii) स्टीवडोरिंग संचालनों का अंतरण या किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस में उप–किराएदार बनाना ;

(ix) सुरक्षा संबंधी नियम एवं निर्देश कोड अनुपालन का उल्लंघन करने के मामले में;

(x) किसी भी प्रकार का दुराचार, जो कि अध्यक्ष की राय में इस प्रकार लाइसेंस को रद्द करने या निलंबन करने का अधिकार देता है ;

(xi) गैर–कानूनी / भ्रष्टाचार युक्त कार्यों में लिप्त होने के मामले में ,

(xii) श्रम कानूनों का अपालन करने के मामले में ,

(ख) इस विनियम के तहत कोई भी लाइसेंस रद्द या निलंबित जैसा भी मामला हो, नहीं किया जाएगा, जब तक कि लाइसेंस धारक को उसका कारण बताने का उपयुक्त अवसर न दिया जाए।

11 **अपील :**

लाइसेन्सों को रद्द / निलंबन / जारी करने की मनाही से संबंधी किसी प्रकार के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उसे इस प्रकार के रद्द / निलंबन संबंधी आदेश को सूचित करने की तारीख से 30 दिनों के अंदर वी ओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास के अध्यक्ष या किसी अन्य उच्च प्राधिकारी को, जैसी स्थिति हो, को लिखित रूप में अपील कर सकता है।

12 **पत्तन / सीएचडी / लाइसेन्स धारक या बाहर से कामगारों का प्रतिनियोजन :**

(क) स्टीवडोरिंग एवं शोर हेन्डलिंग सर्विस एजेन्टों द्वारा पत्तन श्रमिक का प्रतिनियोजन करने की अद्यतन प्रथा को चालू रखा जाए और पत्तन द्वारा, स्टीवडोर्स एवं शोर हेन्डलिंग सर्विस एजेन्ट द्वारा दावा किए गए अपेक्षाओं के विरूद्ध, अपेक्षित कामगारों की पूर्ति करने में असफल होने के मामले में, पत्तन इस उद्देश्य के लिए, स्टीवडोरिंग एवं शोर हेन्डलिंग सर्विस एजेन्ट को अपनी खुद की व्यवस्था करने की अनुमति दे सकता है ।

(ख) पत्तन न्यास द्वारा श्रम की पूर्ति न किए जाने पर, किसी प्रकार का नोशनल बुकिंग या प्रभार नहीं लगाए जाएंगे और एजेन्टों से श्रम के लिए किसी भी प्रकार के प्रभारों की उगाही नहीं की जाएगी ।

(ग) स्टीवडोर एवं शोर हेन्डलिंग एजेन्ट को यह वचबद्धता देनी होगी कि उनके द्वारा नियोजित कामगारों के लिए वेतन, केन्द्र सरकार और फेडरेशन ऑफ पोर्ट एन्ड डॉक वर्कर्स के बीच हुए वेतन समझौता करार की शर्तों के अनुसार अदा किया जाएगा।

13 **निश्पादन के नॉर्म्स :**

(क) स्टीवडोर एवं शोर हेन्डलिंग एजेन्टों के लिए निष्पादन मानकों की गणना, पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए "महापत्तन के लिए सूखे बल्क कार्गो केलिए बर्थिंग, 2016" के आधार पर, की जाएगी।

(ख) पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए" महापत्तन के लिए सूखे बल्क कार्गो के लिए बर्थिंग, 2016" के अनुसार ही निष्पादन आधारित दंड एवं वेतनवृद्धि को लागू किया जाएगा ।

(ग) संबंधित एजेन्टों द्वारा प्राप्त उत्पादकता संबंधी मासिक निष्पादन ब्योरा, ग्राहकों के बीच पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु पत्तन के शासकीय वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

14. **प्रशिक्षण, आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग :**

(क) स्टीवडोरिंग एवं शोर हेन्डलिंग गतिविधियों में नियोजित कार्मिकों को, उत्पादन, दक्षता एवं सुरक्षा में सुधार लाने हेतु, उन्हें कार्गो के व्यवस्थापन की आधुनिक प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित किया जाए।

(ख) स्टीवडोरिंग एवं शोर हेन्डलिंग संचालनों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को, (भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय) में शुरू किया जाना चाहिए।

15 **व्याख्या**

इन विनियमों के व्याख्या के संबंध में, अगर कोई प्रश्न उठता है तो उस पर निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।

फार्म – ए

(विनियम 4 का खंड (ए) और विनियम 5 का खंड (i) देखें)

वी ओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास
यातायात विभाग

सेवा में

यातायात प्रबंधक
वी ओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास

स्टीवडोरिंग लाइसेन्स को प्रदान /नवीकरण करने के लिए आवेदन प्रपत्र

1	आवेदक का नाम
2	क्या यह कंपनी, कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत है या सहभागिता फर्म है या कोई अन्य कानूनी अस्तित्व है (सहभागिता /कंपनी के कागज़ात प्रस्तुत किए जाने हैं)
3	पूरा पता
4	वर्ष/वर्षों , जिसके लिए लाइसेन्स की जरूरत है।
5	स्टीमशिप कंपनी /जहाज के चार्टर्र/कार्गो के मालिक का नाम , जिसके साथ उनके वेसल की स्टीवडोरिंग के लिए ठेका लेने/कार्गो प्रचलित करना या लेने/करने का प्रस्ताव किया जा रहा है (ठेके की अवधि का सबूत संलग्न किया जाना है। हरेक पार्टी के लिए अनुमानित टनेज को भी अंकित किया जाना है)
6	इस क्षेत्र में पिछला अनुभव (पिछले 3 वर्षों के लिए कार्गो तथा स्टीवडोर्रड् टनेज को प्रस्तुत किया जाना है)
7	कामगार मुआवज़ा अधिनियम .... आदि के तहत वेतन, प्रतिपूर्ति के इकारारनामों को पूरा करने हेतु वित्तीय क्षमता का रकम (वित्तीय क्षमता के रूप में बैंकर्स से एक प्रमाण पत्र एवं पेन कार्ड की प्रति)
8	क्या आवेदक के पास , ठेके पर लिए वेसल/कार्गो की स्टीवडोरिंग करने के लिए पर्याप्त गेयर हैं या प्राप्त करने की इच्छा रखता है? (आवश्यक प्रमाण के साथ गेयर की सूची प्रस्तुत की जाए)
9	क्या आवेदक के पास नियम एवं विनियम को जानते हुए अनुभवी कर्मचारी पर्याप्त रूप में नियुक्त हैं या करने की इच्छा रखता है? (कर्मचारियों और उनके अनुभव की सूची प्रस्तुत किया जाए)
10	क्या आवेदक ने सभी देयों , अगर कोई हैं, जिसके लिए पत्तन न्यास के साथ उसका कोई लेन–देन था, को चुका दिया है?
11	क्या आवेदक ने निम्नलिखित निक्षेप किए हैं: लाइसेन्स शुल्क – रु 50,000/– कामगार मुआवज़ा अधिनियम, 1923, वेतन भुगतान अधिनियम, 1936, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 .... इत्यादि के तहत देयताओं के लिए और इस प्रपत्र के कॉलम 4 के अधीन लाइसेन्स की अपेक्षित अवधि के लिए मान्य आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए, रु 5.00 लाख का निक्षेप ।

(क) मैं आश्वासन देता हूँ कि दिए गए विवरण मेरे ज्ञान एवं विश्वास से ठीक एवं सही हैं।,

(ख) मैं, लाइसेन्स प्रदान करने के लिए विचार करने हेतु, आवश्यकतानुसार निरीक्षण करने के लिए कोई भी अन्य सूचना / किसी प्रकार का रिकार्ड प्रस्तुत करने के लिए सहमत हूँ। अगर मुझे लाइसेन्स जारी/नवीकरण किया जाता है तो मैं, वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास (लाइसेन्सिंग ऑफ स्टीवडोरिंग) विनियम, 2018 का पालन करने और समय समय पर वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास द्वारा दिए जाने वाले निदेशों का अनुपालन करने के लिए सहमत हूँ।

आवेदक का हस्ताक्षर/मोहर

फार्म – बी
(विनियम 5 का खंड (बी) को देखें)

वी ओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास
(यातायात विभाग)

दैनिक निष्पादन रिपोर्ट
सेवा में
यातायात प्रबंधक
वी ओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास

तारीख:.....

वेसल का नाम एलओए	सीएएस	कार्गो / मात्रा (मीट्रिक टन में)	मानक	लादा / निकासी	स्टीवडोरिंग एजेन्ट	निश्पादन की तारीख (एमटी में)	संभाली गई मात्रा (एमटी में)		
							प्रॉप0 नॉम्स	अद्यतन की तारीख तक निष्पादन (एमटी में)	शेष

हस्ताक्षर एवं मोहर

यू राजेंद्रन

यातायात प्रबंधक"

[फा. सं. पीडी–25021 / 45 / 2017–वीओसीपीटी / 327136]

रबिन्द्र अग्रवाल,संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2018

G.S.R. 1240(E).—In pursuance of sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) of section 132 of the Major port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the V.O.Chidambaranar Port Trust (Licensing of Stevedoring & Shore Handling Agents) Regulations, 2018 made by the Board of Trustees of V.O.Chidambaranar Port Trust, in exercise of the powers conferred on them by section 123 of the said Act and published in the Tamil Nadu Government Gazette vide notification number SRO C-16/2018 dated the 11th July, 2018 and SRO C-16/2018 dated the 18th July, .2018 as set out in the Schedule annexed to this notification.

SCHEDULE

" V. O. Chidambaranar Port Trust (Licensing of Stevedoring and Shore Handling Agents) Regulations, 2018.

No. SRO C-16/2018

In exercise of the powers conferred by section 123 of the Major Port Trusts Act, 1963(38 of 1963), the Board of Trustees of V.O.Chidambaranar Port Trust hereby makes the following regulation, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the V. O. Chidambaranar Port Trust (Licensing of Stevedoring and Shore Handling Agents) Regulations, 2018.

(2) These Regulations shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government in the Official Gazette in pursuance of sub-section(1) of section 124, read with sub-section(1) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963(38 of 1963).

2. Application.- (1) These regulations shall be applicable for the following activities, namely:-

(a) Stevedoring and Shore Handling activities undertaken by the Port or by the licensed Stevedoring and Shore Handling agents or by any other agents under any other name;

(b) Stevedoring and Shore Handling by the Build Operate Transfer Terminal Operator as specified in the license agreement;

(c) The activities relating to Shore Handling on-shore involving workmen and extending to hook point for export (loading) cargo and from the hook point of import (unloading) cargo involving workmen on-shore or whatever practice prevalent in Ports.

(2) No Agency shall undertake to perform the activities referred to in sub- regulation(1) in the Port unless and until they are issued a valid licence by the Port for the purpose.

3. Definitions.– In these regulations, unless the context otherwise requires, -

(i) "Act" means the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) ;

(ii) The applicant shall be a company registered under Companies Act, 2013(18 of 2013) or a partnership firm.

(iii) "Board" means the Board of Trustees of the Port of V. O. Chidambaranar constituted under the Act ;

(iv) "Chairman" means Chairman of the Board;

(v) "Form" means the forms annexed to these regulations;

(vi) "Stevedoring" means loading and unloading and stowage of cargo in any form on-board the vessels in Port;

(vii) "Shore Handling" means arranging and receiving the cargo to or from the hook point, inter modal transport from Wharf to stack yard and vice versa and also receiving and delivering of cargo from or to wagons or trucks; and

(viii) "Traffic Manager" means the Officer for the time being in charge of the Traffic Department of the V. O. Chidambaranar Port Trust.

4. Issue of Stevedoring and Shore Handling License.- (a) The application for issue of Stevedoring and Shore Handling Licence shall be made by an applicant in Form- A along with requisite documents.

(b) The Stevedoring and Shore Handling Licence shall be issued on the basis of royalty on the normative tariff fixed by Tariff Authority for Major Ports for handling of different cargo items, within the Port and this tariff shall be the ceiling tariff.

(c) The applicant may charge the rates from their Principals not exceeding the ceiling tariff fixed by Tariff Authority for Major Ports under clause (b).

(d) The financial standing of an applicant shall be able to meet the obligations on account of wage and compensation under the Workmen's Compensation Act, 1923 (8 of 1923), the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936), the Industrial Disputes Act, 1947(4 of 1947), or any other law for the time being in force arising in regard to the workers and staff employed by such Agent.

(e) The applicant shall deposit a security deposit of five lakhs rupees which shall be refunded or discharged without interest after adjusting the claims, if any, when the licensee ceases to operate.

(f) The applicant shall undertake to have in its employment at least six supervisory personnel with minimum two years experience in cargo handling operations and their profiles have to be enclosed along with the application.

(g) The fee for issue or renewal of Stevedoring and Shore Handling License shall be fifty thousand rupees plus applicable taxes for the period of one year or part of a year.

(h) No applicant shall be allowed to work in the Port premises except under a license issued by the Chairman under these regulations.

(i) The Chairman may issue Stevedoring and Shore Handling license for a period of three years.

5. Validity and Renewal of Stevedoring and Shore Handling License.-(a) The Stevedoring and Shore Handling license shall be valid for a period of three financial years from the date of issue.

(b) The daily performance report on capturing productivity achieved by the Stevedoring and Shore Handling agent in the Form – B shall be submitted by the Stevedoring and shore handling agent to the Traffic department online.

(c) The Chairman of the Port Trust shall review the performance of the Stevedoring and Shore Handling agent every month.

(d) Compliance of terms and conditions of the license issued to the agents, safety norms followed by the agents shall be monitored by Traffic Manager and a report in this regard to be submitted to the Chairman.

(e) Where the Traffic Manager finds any default on the part of Stevedoring and Shore Handling agent, he shall cause to issue a warning in the event of first default and in the event of second default, the license of the Stevedoring and shore Handling Agent shall be liable to be cancelled by the Chairman.

(f) At the end of three years, the license shall be renewed on the basis of the performance reports referred to in clause (d).

(g) The application for renewal of Stevedoring and Shore Handling Services shall be made three months before the expiry of the existing license period.

(h) Delayed renewal applications shall not be accepted and the License shall expire on the expiry date.

(i) The application for renewal of Stevedoring and Shore Handling Services shall be made in the Form – A

(j) Before issue of renewal of licenses, a report regarding the safety performance compliance of Dock Safety Statutes shall be obtained from the "Inspector" declared under the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Act, 1986 which shall be taken into consideration while issuing the renewal of the License

(k) If the Stevedore and Shore handling agent fulfils the required condition and is eligible for renewal but awaiting safety clearance before expiry of the license period, the Port may permit the Stevedoring operation by such agent on execution of Indemnity bond.

(l) In case of Stevedores who do not opt for further renewal their security deposit shall be refunded without any interest after adjusting the claims, if any, when the license ceases to operate.

(m) The renewal of the Stevedoring and Shore Handling Services License shall be valid for a period of three financial years from the date of renewal .

(n) In the event of loss or defacing of the original license, a duplicate license may be obtained on application made to the Traffic Manager on payment of One Thousand rupees.

6. Migration to the New Stevedoring and Shore Handling Scheme.- The Stevedoring and Shore Handling Agent who have been issued license before the commencement of this regulation would be deemed to be considered as a licensee under this regulation:

Provided that any additional requirement to be satisfied by the licensee based on this regulation, shall be required to be fulfilled by the licensee within a period of one month.

7. Change in the name, constitution, to be communicated.-(a) Where the Stevedore Shore Handling is a partnership firm or a company it shall immediately communicate to the Chairman any change of the Director, Managing Director or partners, as the case may be with a copy of the document in support of such change.

(b) Any change in the name, title or constitution of a firm or company holding a Stevedoring Shore Handling Licence shall be communicated to the Chairman forthwith.

(c) The partnership firm or company which has undergone such a change shall submit a fresh application for the grant of new license:

Provided that the Chairman may allow such firm or company to carry on business till a decision is taken on such fresh application.

8. Stevedoring and Shore Handling Charges.-(a) The Tariff Authority for Major Ports shall notify the normative tariff for Stevedoring and Shore Handling activities based on a set of guidelines to be issued by Tariff Authority for Major Ports which shall be the ceiling tariff and in case of any change in role for Tariff Authority for Major Ports in future, the Board or the Competent Authority shall fix and notify the rates based on the same principles.

(b) All customers of V.O.Chidambaranar Port Trust shall be notified on the ceiling tariffs set for Stevedoring and Shore handling activities and the tariff shall be mandatorily displayed on the Port's official website.

(c) The Port shall appoint a nodal officer responsible for monitoring of Stevedoring and Shore Handling tariffs and such Officer shall be responsible for handling all complaints on violation of Stevedoring and Shore Handling ceiling tariff.

(d) The Port shall charge a royalty as the licence fee for the Stevedoring and Shore Handling licenses.

(e) The Port Trust shall fix a per Metric Tonne royalty rate uniformly to be paid by all licensees as fixed by the Board.

9. Duties and responsibilities of Stevedoring and Shore HandlingAgent.– Every Stevedore and Shore Handling Agent shall be subject to the following duties, obligations and responsibilities during the currency of Stevedoring and Shore Handling license issued to him by the Chairman, namely:-

(i) the Stevedore and Shore Handling Agent shall ensure due compliance by all the staff and the workers employed by him during the operation of landing, loading transporting goods or work incidental thereto, of the provisions of the Dock Workers (Regulations of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Scheme, 1961, the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Act,1986 (5 of 1986), the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947) and the payment of Bonus Act, 1965 (21 of 1965) Minimum Wages Act,1948 (11 of 1948) and rules, regulations and schemes issued there under, relating to such operations and for the time being in force ;

(ii) the Stevedore and Shore Handling Agent shall undertake to provide minimum equipment or gear either owned or hired by him ;

(iii) the Stevedore and Shore Handling Agent shall be solely responsible for any accident or damage resulting from the use of any gear used by him ;

(iv) the Stevedore and Shore Handling Agent shall comply with all accepted safe practices in relation to operations performed by him ;

(v) the Stevedore and Shore Handling Agent shall indemnify the Board against all third party claims arising out of operations performed by him;

(vi) in event of any accident, Stevedore and Shore Handling Agent is liable to settle the claim as per the provisions of the Workmen's Compensation Act, (1923);

(vii) whenever casual workers are deployed, the Stevedore and Shore Handling Agent shall ensure that such workers are covered by the insurance policy;

(viii) if any gear, plant and other property of the Board is damaged in the course of any such operation, the Stevedore and Shore Handling Agent shall compensate the Board for such loss or damage, the extent of which shall be decided by the Chairman after carrying out a proper enquiry ;

(ix) the Stevedore and Shore Handling Agent shall agree to refer any dispute or difference between the licensee and the V. O. Chidambaranar Port Trust as to the payment of compensation, its quantum or any connected question to a single Arbitrator nominated by the Chairman;

(x) the arbitration procedure shall be governed by the provisions of the Arbitration and Conciliation Act,1996(26 of 1996);

(xi) the place of arbitration shall be Tuticorin;

(xii) the Stevedore and Shore Handling Agent shall submit promptly any information asked for by the Chairman or the Traffic Manager from time to time ;

(xiii) the Stevedore and Shore Handling Agent shall pay scheduled charges to Port in advance and in case of dues pending, the License shall not be renewed and liable to be cancelled;

(xiv) the Stevedore and Shore Handling Agent shall provide for adequate supervision over the workers employed by the licensee in order to ensure maximum productivity consistent with the requirements of safety;

(xv) the Stevedore and Shore Handling Agent shall provide all the necessary gear equipment duly tested for the respective type of cargo ;

(xvi) the Stevedore and Shore Handling Agent shall produce the gear, equipment, with necessary annealing and test certificates, for inspection periodically or whenever demanded by the Inspector, Dock Safety or the Traffic Manager ;

(xvii) the Stevedore and Shore Handling Agent shall provide the workers necessary protective safety appliances appropriate for the type of cargo ;

(xviii) the Stevedore and Shore Handling Agent shall ensure that the workers are available at the work site throughout the shift period, except during the recess hours and render the normal output and shall take effective steps to improve the performance whenever output falls below normal ;

(xix) the Stevedore and Shore Handling Agent shall make adequate arrangements for ancillary operations such as filling, stitching and breaking of cargo, stacking of cargo on-board or Shore;

(xx) the Stevedore and Shore Handling Agent shall not assign, transfer or in any manner part with any interest or benefit in or under the license to any other person without the prior approval in writing of the Chairman;

(xxi) the Stevedore and Shore Handling Agent shall comply with all the instructions a may be issued from time to time by the Traffi Manager in the interest of safety, improved productivity and labour discipline;

(xxii) the Stevedore and Shore Handling Agencies shall publish their tariff along with break up on their web sites;

(xxiii) the Stevedore and Shore handling agencies should comply with all provisions of labour welfare laws strictly in accordance with the provisions of the laws and the rules, regulations and schemes made hereunder.

10. Cancellation or Suspension of license.-(a) The Port may at any time suspend or cancel the license issued to a Stevedores and Shore Handling agent for violation of any of the terms of license or for any of the following reasons, namely:-

(i) The Chief Executive Officer of the Stevedore and Shore Handling Agency has been convicted by any court of law for any offence involving moral turpitude and sentenced in respect, thereof, to imprisonment for not less than six months, and a period of five years has not elapsed from the date of expiry of the sentence.

(ii) The Agency is found to be charging higher than the ceiling tariff fixed for Stevedore and Shore Handling activities in the Port.

(iii) The firm does not achieve the performance standards specified in the license on an average over a period of three month.

(iv) In case of violation of safety regulations and mandatory Dock Safety measures.

(v) In case of adopting improper and unsafe handling methods. (vi) In case of misrepresentation or misstatement of material facts.

(vii) The Agency is adjudged insolvent or going into liquidation.

(viii) Transfer of the Stevedoring operations or subletting of the license to any other person.

(ix) In case of violation of security related rules and instructions code compliance.

(x) Any other misconduct which in the opinion of the Chairman warrant such cancellation or suspension.

(xi) In case of indulging in illegal or corrupt practices.

(xii) In case of non adherence to labour laws.

(b) No such license shall be cancelled or suspended under this regulation, as the case may be, until the holder of the license has been given a reasonable opportunity of being heard.

11. Appeal.-Any person aggrieved by any order relating to cancellation or suspension or refusal to issue licenses, may prefer an appeal in writing to the Chairman of the V.O.Chidambaranar Port or any other higher authority, as the case may be, within thirty days from the date of receipt of communication of the order of suspension or cancellation.

12. Deployment of workers from Port/CHD/License Holder or outside.-(a) Existing practice of deploying Port labour by Stevedoring and Shore Handling Services agents may continue and in case, the Port is unable to supply the requisite workers against the requisition placed by Stevedores and Shore Handling agent, the Port may allow the Stevedoring and Shore Handling Services agent to make their own arrangement for this purpose.

(b) No notional booking or levying of charges shall be made and agents shall not be levied any charges for labour, in case the Port Trust does not supply the labour.

(c) The Stevedore and Shore Handling Agent shall undertake to pay the workers engaged by him wages in accordance with the terms of wage settlement arrived at between the Central Government and the Federations of Port and Dock Workers.

13. Performance Norms.-(a) The Productivity norms for the Stevedore and Shore handling agents shall be calculated on the basis of " Berthing Policy for Dry Bulk cargo for Major Ports, 2016" as issued by the Ministry of Shipping.

(b) Performance based penalty and incentives shall be enforced in accordance with the "Berthing Policy for Dry Bulk cargo for Major Ports, 2016" issued by Ministry of Shipping.

(c) The monthly performance summary capturing productivity achieved by the respective agents shall be published on the Port's official website to ensure transparency to the Customers.

14. Training, Use of Modern Technology.-(a) The personnel deployed in Stevedoring and Shore Handling activities shall be trained in modern methods of cargo handling for improving the productivity, efficiency and safety.

(b) Specialised training courses for the Stevedoring and Shore Handling operations may be introduced in Indian Maritime University.

15. Interpretation.- If any question arises as to the interpretation of these regulations, the same shall be decided by the Board.

FORM-A

(see clause (a) of regulation 4 and clause (i) of regulation 5)
V.O.CHIDAMBARANAR PORT TRUST
(TRAFFIC DEPARTMENT)

To
The Traffic Manager,
VO Chidambaranar Port Trust.

APPLICATION FORM FOR THE GRANT/RENEWAL OF STEVEDORING LICENCE

1. Name of the applicant :
2. Whether a company registered under Companies Act or a partnership firm or any other legal entity (Article of partnership / Company to be produced) :
3. Full Address :
4. Year/s for which license is required :
5. Name/s of the Steamship Company / Charterer of ships / Owner of cargo, with whom the contract for stevedoring their vessel/cargo subsists or is proposed to be entered: (proof of Contract for the period covered is to be appended. The approximate tonnage for each party is to be indicated) :
6. Previous experience in the field (The cargo and tonnage stevedored in previous 3 years to be furnished) :
7. Amount of financial ability to meet the obligation on account of wages, compensation under Workmen's Compensation Act, etc.
   (A Certificates from the Bankers as to the financial ability and PAN Card Xerox) :
8. Whether the applicant has / is willing to acquire adequate gear for stevedoring the contracted vessel/cargo? (List of gear with necessary Certificates to be furnished) :
9. Whether the applicant has / is willing to have in his employment adequate staff with experience and conversance with Rules and Regulations? (A list of the staff and their experience to be furnished):
10. Whether the applicant has cleared all dues, if any, on account of transactions he had with the Port Trust? :
11. Whether the applicant has made the following deposits:-
    Licence fee of Rs. 50,000/-
    Deposit of Rs. 5. 00 lakh towards liabilities under the Workmen's Compensation Act, 1923, Payment of Wages Act, 1936, Industrial Disputes Act, 1947, etc. & to meet contingency valid for the period for which the licence is required under column 4 of this Form :

a. I affirm that the particulars given are true to the best of my knowledge and belief.

b. I agree to furnish any other information/produce any record for inspection as may be required, to consider the request for grant of license. I agree to abide by the V.O.Chidambaranar Port Trust (Licensing of Stevedoring and Shore Handling Agents) Regulations, 2018 and to comply with the directions made by the V.O.Chidambaranar Port Trust, from time to time, if the license is issued/renewed.

Signature of applicant and Seal

Form-B

(see clause (b) of regulation 5)

V.O.CHIDAMBARANAR PORT TRUST

(TRAFFIC DEPARTMENT)

DAILY PERFORMANCE REPORT

To
The Traffic Manager,
V.O.Chidambaranar Port Trust.

Date:

Vessel Name LOA	CAS	Cargo/Qty. (in MT)	Norms	Load/Discharge	Stevedoring Agent	On date Performance (in MT)	Qty. Handled (in MT)		
							Prop. Norms	Upto date Performance (in MT)	Balance

Signature and Seal
U. RAJENDRAN
Traffic Manager"

[F. No. PD-25021/45/2017-VOCPT/327136]

RABINDRA AGARWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.01.04 15:49:25 +05'30'